

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनरक्षक

(भू- प्रबंधक)

अरण्य भवन , अटल नगर ,

नया रायपुर , छत्तीसगढ़

विषय: आप का पत्र क्रमांक क./भू- प्रबंधक/विविध /एल.एम -115 - 906 / 8025 दिनांक : 21 / 12 / 2021 बाबत .

महोदय,

आप का पत्र क्रमांक क./भू- प्रबंधक/विविध /एल.एम -115 - 906 / 8025 दिनांक : 21 / 12 / 2021 मैं हमारी संस्था रायगढ़ माइनिंग एंड बेनीफिक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच रोड दिया जाने हेतु जानकारी मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर से माँगा गया था जिसकी जानकारी मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के पत्र क्रमांक/तक./ 195 दिनांक 25 /01 / 2022 को दी गई है ।

1. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर, पत्र क्रमांक/तक. / 195, दिनांक 25 /01 / 2022 संलग्न है ।

भवदीय

Raigarh Mining and Beneficiation Pvt. Ltd.



Director

प्रांजल अग्रवाल



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-22762 , फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 195
प्रति.

बिलासपुर, दिनांक 25.01.2022

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(मू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- जांजगीर-चाम्पा जिले के जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Approach Road in Raigarh Mining and Beneficiation Private Limited हेतु क्षेत्रफल - 1.192 पंजीयन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र का पत्र क्र./ (मू-प्रबंध) /एल.एम.-115-906/2557, दिनांक 12.10.2021 एवं वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा का पत्र क्र./तक./87, दिनांक 04.01.2022

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल के कक्ष क्र. 42 में दो निजी संस्थानों द्वारा अलग-अलग रोड निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदन किया गया है, जिसमें से आवेदक एस.बी.जे. प्राईवेट लिमिटेड का प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, दूसरे निजी संस्थान द्वारा आवेदित रोड के समानांतर रोड निर्माण हेतु आवेदन किया गया है, जिसका मौके पर स्थल निरीक्षण कर वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा के द्वारा आवेदित वनभूमि में 1.192 हे. का मांग आवेदक द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे कर पंजीयन हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मार्ग में आवेदक एस.बी.जे. प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समानांतर भूमि में रोड प्रस्तावित किया गया है जिससे दोनो मार्गों के मध्य वनभूमि शेष नहीं रहेगा।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25.01.2022

क्रमांक/तक./ 196

प्रतिलिपि -

1. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
2. रायगढ़ माइनिंग एंड बेनिफिकेशन प्रा.लि.हटरी, चौक, सरिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर